"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2006—फाल्गुन 19, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक ई-1-2/2006/1/2.—श्री बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (1993) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संचालक, खाद्य एवं नियंत्रक, नापतौल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, खाद्य एवं पदेन विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है. श्री अनंत अपने कार्य के साथ-साथ नियंत्रक, नापतौल का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम-3 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात् शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए.

2. नियम-4 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात् शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 दिनांक 25-2-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

Raipur, the 25th February 2006

No. F 2-1/2005/1/6.— In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 3, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.

2. In rule 4, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 30-01-2006 से 04-02-2006 तक (06 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05-02-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रे, भा. प्र. से., आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रे, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2006

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2006 द्वारा श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 13-02-2006 से 17-02-2006 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री मिश्रा को दिनांक 18-02-2006 से 25-02-2006 तक (08 दिवस) और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26 फरवरी, 2006 के शासकीय अवकाश की भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2006

क्रमांक/329/डी-15/239/04-05/14-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4457/डी-15/239/04-05/14-3 रायपुर, दिनांक 26-12-05 द्वारा प्रदेश की 72 कृषि उपज मंडी समितियों का निर्वाचन दो चरणों में सम्पन्न किये जाने हेतु जारी की गई समय अनुसूची का अवलोकन करने का कष्ट करें. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची (दो) के अनुसार द्वितीय चरण में सम्पन्न होने वाले मतदान के लिये बिलासपुर जिले के मंडी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 48-पेण्ड्रा के स्थान पर त्रुटिवश ''पेण्ड्रारोड'' अंकित हो गया है, इसे ''पेण्ड्रा'' पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कुदत्त, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 1-115/2004/सत्रह/एक.—राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13,500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न सूची में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम-1988 के नियम-19 के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडर टेकिंग कार्यग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) चयनित अभ्यार्थियों/चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, अवर सचिव.

नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना सूची

सरल क्रमांक	लो. से. आ. से प्रावीण्यता सूची क्रमांक	चयनित चिकित्सा अधिकारियों की सूची	पदस्थापना स्थल
1.	330	डॉ. सुमीत ध्रुव	सामु. स्वा. केन्द्र भानुप्रतापपुर जिला कांकेर
2.	155	डॉ. रोमशा छत्तरी	सामु. स्वा. केन्द्र करतला जिला कोरबा

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 1-6/2005/11/(6).—राज्य शासन द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेशचन्द्र झा, वाष्पयंत्र निरीक्षक (प्रथम श्रेणी) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र के पद पर, वेतनमान रुपये 12,000-375-16,500 में पदोन्नत किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि एकल पद होने से इस पद के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण लागू नहीं होते.

3. पदोन्नति उपरांत श्री झा को मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, वाष्पयंत्र निरीक्षणालय छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 8-2/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लिमि. मंदिर हसौद-रायपुर के बायलर क्रमांक-एम. पी./4526 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 12-02-2006 से दिनांक 11-06-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 8-10/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल-कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3216 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी)

के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 04-02-2006 से दिनांक 03-08-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 8-11/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लिमि. मंदिर हसौद-रायपुर के बायलर क्रमांक-सी. जी./40 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 24-02-2006 से दिनांक 23-03-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक-एफ -17-92/2003/25-3/आजाक रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

आदर्श शिक्षक पुरस्कार योजना- 2005

1. **योजना का नाम—**
ये नियम आदर्श शिक्षक पुरस्कार योजना वर्ष 2005 कहलायेंगे.

2. **योजना का उद्देश्य—**
स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने, अनुशासन, नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिमान स्थापित करने आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाना है.

3. **योजना का कार्य क्षेत्र—**
पुरस्कार हेतु विभाग की संस्थाओं में बोर्ड कक्षाओं में अध्यापन करने वाले सभी शिक्षक पात्र होंगे. योजना अंतर्गत शिक्षकों के चयन में कवर्धा जिला राजनांदगांव में, जांजगीर-चांपा जिला कोरबा में तथा महासमुन्द जिला रायपुर में सम्मिलित किया जावेगा.

4. **चयन प्रक्रिया—**
चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त प्रविष्टि में दर्ज जानकारी के आधार पर सर्वांगीण मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों का ग्रेड निकाला जावेगा. जिला स्तर पर कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं हेतु प्रत्येक स्तर के लिए 2 उत्कृष्ट शिक्षक (प्रथम एवं द्वितीय) का जिला स्तर की चयन समिति चयन करेगी. इस प्रकार प्रत्येक जिले से कुल 8 शिक्षकों का चयन किया जावेगा. राज्य स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन हेतु जिले के प्रत्येक स्तर से चयनित प्रथम एवं द्वितीय उत्कृष्ट शिक्षक की मूल प्रविष्टि एवं मूल्यांकन पश्चात् अनुशंसा के साथ राज्य स्तर पर भेजा जाएगा. जिलों से प्राप्त प्रविष्टि के आधार पर राज्य स्तर की समिति सम्पूर्ण मूल्यांकन पश्चात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु योग्य शिक्षकों का चयन करेगी. चयन के संबंध में अंतिम निर्णय आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास का मान्य होगा.

5. **चयन समिति—**
पुरस्कार के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :—

(अ) जिला स्तर पर -

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदि. विकास	सचिव

(ब) राज्य स्तर पर-

1. आयुक्त, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव/उप सचिव आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग मंत्रालय.	सदस्य
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग, मंत्रालय.	सदस्य
4. उपायुक्त/सहा. आयुक्त (शिक्षा) आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग	सदस्य

6. **पुरस्कार की राशि—**

रु. 7,00,000.00 (रु. सात लाख मात्र) विवरण निम्नानुसार है :—

स्तर	श्रेणी	जिला स्तर		
		पुरस्कार राशि की दर	कुल पुरस्कार राशि 16 जिलों हेतु	राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5वीं	प्रथम	3000.00	48000.00	10000.00
	द्वितीय	2000.00	32000.00	7000.00
	तृतीय	1000.00	16000.00	5000.00
8वीं	प्रथम	3000.00	48000.00	10000.00
	द्वितीय	2000.00	32000.00	7000.00
	तृतीय	1000.00	16000.00	5000.00
10वीं	प्रथम	5000.00	80000.00	20000.00
	द्वितीय	3000.00	48000.00	15000.00
	तृतीय	2000.00	32000.00	10000.00
12वीं	प्रथम	5000.00	80000.00	20000.00
	द्वितीय	3000.00	48000.00	15000.00
	तृतीय	2000.00	32000.00	10000.00
	योग	**32000.00**	**512000.00**	**134000.00**

7. **पुरस्कार वितरण समारोह—**

05 सितम्बर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर चयनित शिक्षकों को जिला मुख्यालय पर तथा राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों को आयुक्त, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास के कार्यालय में अथवा शिक्षा विभाग से समन्वय कर कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया जावेगा.

8. **नियमों में संशोधन का अधिकार—**

नियम में किसी प्रकार का संशोधन हेतु सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सक्षम होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

प्रारूप

आदर्श शिक्षक पुरस्कार योजना हेतु आवेदन पत्र

भाग-एक

वर्ष . . . .

1. शिक्षक का नाम

2. पदनाम

3. शैक्षणिक योग्यता

4. पदस्थ शाला का नाम — वि.खं. — जिला

5. शाला में पदस्थ शिक्षकों की संख्या

6. शिक्षक द्वारा अध्यापन किये गये विषय :—

   कक्षा — विषय

7. शाला ग्राम की आबादी — कुल — अनु.ज.जा. — अ.जा.

8. शाला ग्राम/पोषक शालाओं के स्कूल जाने योग्य (सर्वेक्षित) बच्चों को दर्ज किए जाने का विवरण.

	लक्ष्य (संख्या)		प्रवेशित	
	बा.	कन्या	बा.	कन्या
कुल				
अनु.ज.जा.				
अ.जा.				

9. प्रत्येक कक्षाओं में दर्ज बच्चों में से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत (शाला त्यागी छात्रों का प्रतिशत)

कक्षा	वर्ग	बा.	कन्या	प्रतिशत
कुल				
अनु.ज.जा.				
अ.जा.				

10. कक्षा . . . . की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का कक्षा में दर्ज संख्या का प्रतिशत.

    कक्षा की दर्ज संख्या
    परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या
    प्रतिशत

11. अध्यापक की कक्षा/विषय का परीक्षाफल

(i) कक्षा
(ii) विषय
(iii) परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या
(iv) उत्तीर्ण छात्र संख्या
(v) उत्तीर्ण का प्रतिशत
(vi) 60 से अधिक अंक अर्जित करने वालों की संख्या
(vii) विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों की संख्या (75 से अधिक)
(viii) उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अ.जा./अनु.ज.जा. की संख्या
(ix) उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अनु.जा./अनु.ज.जा. का प्रतिशत

12. शिक्षक के प्रयास से राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की उपलब्धि या समकक्ष स्तर की अन्य उपलब्धि.

क्रमांक	परीक्षा का नाम	वर्ग	कुल पढ़ाये गये छात्र	चयनित छात्र
		अजजा.		
		अजा.		
		अपिव.		
		सामान्य		
		योग		

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र के भाग-एक में मेरे द्वारा जानकारी दर्ज की गई है यह जानकारी मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पुरस्कार हेतु अभ्यर्थिता स्वमेव समाप्ति योग्य होगी.

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र के भाग-एक का मेरे द्वारा सत्यापन किया गया है एवं जानकारी सही पायी गई हैं.

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
संस्था प्रमुख/वि.खं.शि.अधि.

टीप :—कक्षा पांचवी, आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं में से जो लागू हो उसे निर्दिष्ट स्थान पर लिखा जावे.

भाग–दो

प्रधान पाठक/संकुल प्रभारी/खंड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य का अभिमत

1. शिक्षक की उपस्थिति के संबंध में टीप :—

2. अध्यापन शैली के संबंध में टीप :—

3. शिक्षक का छात्र-छात्राओं से संबंध एवं व्यवहार पर टीप :—

4. ग्रामीणों/स्थानीय जनता/पालकों से संबंध पर टीप :—

5. पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों जैसे-क्रीड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट-गाईड, वानिकी आदि गतिविधियों में सहभागिता पर टीप :—

6. छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में रुचि एवं संवदेनशीलता पर टीप :—

7. छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु पहल विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा./कन्याओं के संबंध में टीप :—

8. शिक्षक के संबंध में शिकायत यथा अनुपस्थिति, आपराधिक गतिविधियों में सम्बद्धता एवं चारित्रिक शिकायत आदि पर टीप :—

9. अन्य कोई टीप जो आवश्यक हो :—

10. प्राचार्य के प्रकरणों में विभागीय जिला अधिकारी उक्त बिन्दुओं पर टीप देंगे.

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2006

क्रमांक/1466/25-2/आजावि/06.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर की पद संरचना के अंतर्गत निगम मुख्यालय हेतु 43 पद, जिला कार्यालय हेतु 160 पद तथा प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 91 पद एवं सहायक ग्रेड के 6 सांख्येत्तर पदों की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	स्वीकृत कुल पद (4)	टीप (5)
I.	**निगम मुख्यालय के पद :—**			
1.	प्रबंध संचालक	उपविधि क्र. 31 अनुसार.	01	
2.	सचिव	उपविधि क्र. 31 अनुसार.	01	
3.	महाप्रबंधक	12000-16500	01	
4.	उप महाप्रबंधक	10000-15200	02	
5.	मुख्य लेखाधिकारी	10000-15200	01	प्रतिनियुक्ति
6.	सहायक महाप्रबंधक/ कार्यपालन अधिकारी/ सहा. विकास अधिकारी.	6500-10500	04	
7.	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	5500-9000	01	प्रतिनियुक्ति
8.	अंकेक्षक	5500-9000	02	
9.	शीघ्र लेखक वरिष्ठ.	5500-9000	01	
10.	अनुसंधान सहायक	4500-7000	01	प्रतिनियुक्ति
11.	शीघ्र लेखक कनिष्ठ	4500-7000	01	
12.	सहायक ग्रेड-II	4000-6000	04	
13.	सहायक ग्रेड-III (डाटा ऐन्ट्री आपरेटर)	3050-4590	08	
14.	वाहन चालक	3050-4590	06	
15.	भृत्य	2550-3200	08	
16.	चौकीदार	2550-3200	01	
			योग 43	

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	स्वीकृत कुल पद (4)	टीप (5)
II.	**जिला समिति के पद :—**			
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	10000-15200	07 रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा (प्रति जिला समिति हेतु 01 पद)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. कार्यपालन अधिकारी	6500-10500	09 कबीरधाम, धमतरी, महासमुन्द कोरबा, जांजगीर, कोरिया, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (प्रति जिला समिति हेतु 01 पद)	
	3. क्षेत्र अधिकारी	4500-7000	48 (प्रति जिला समिति हेतु 03 पद)	
	4. सहायक ग्रेड-II	4000-6000	16 (प्रति जिला समिति हेतु 01 पद)	
	5. सहायक ग्रेड-III (डाटा ऐन्ट्री आपरेटर)	3050-4590	16 (प्रति जिला समिति हेतु 01 पद)	
	वाहन चालक	3050-4590	16 (प्रति जिला समिति हेतु 01 पद)	
	भृत्य	2550-3200	32 (प्रति जिला समिति हेतु 02 पद)	
	चौकीदार	2550-3200	16 (प्रति जिला समिति हेतु 01 पद)	
			योग 160	

III. प्रशिक्षण केन्द्र :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. मैनेजर	6500-10500	13 (प्रति प्रशि. केन्द्र हेतु 01 पद)	
	2. सहायक ग्रेड-I	4500-7000	06 सांख्येत्तर	सांख्येत्तर
	3. मुख्य अनुदेशक	4500-7000	13 (प्रति प्रशि. केन्द्र हेतु 01 पद)	
	4. सहायक ग्रेड-II	4000-6000	13 (प्रति प्रशि. केन्द्र हेतु 01 पद)	
	5. सहायक ग्रेड-III (डाटा ऐन्ट्री आपरेटर)	3050-4590	13 (प्रति प्रशि. केन्द्र हेतु 01 पद)	
	6. भृत्य	2550-3200	26 (प्रति प्रशि. केन्द्र हेतु 02 पद)	
	7. चौकीदार	2550-3200	13 (प्रति प्रशि. केन्द्र हेतु 01 पद)	
			योग 97	

उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

2.1 सेवा भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन कर लिया जायेगा.

2.2 दर्शाये गये सभी वेतनमान सही है इसकी पुष्टि कर ली गयी है.

2.3 उपरोक्त स्वीकृत समस्त पद ((सांख्येत्तर पदों को छोड़कर) स्थायी होंगे.

2.4 चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद जिसमें आकस्मिकता के पद (कलेक्टर दर सहित) सम्मिलित है. सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे, ये पद अतिशेष कर्मचारियों से भरे जायेंगे.

2.5 पद संरचना के रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक पृथक से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाये.

3. (अ) **उक्त व्यय मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष 2225** अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02, अनुसूचित जाति का कल्याण (0102) आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राज्य आयोजना (190) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता (5218) उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान-14 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान.

(ब) **मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2225** अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01, अनुसूचित जाति का कल्याण राज्य आयोजना (0103) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उपयोजना राज्य आयोजना (190) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों की सहायता (5218) उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान-14 आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान.

(स) **मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2225** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण (190) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता (0103) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (3185) अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 14 आर्थिक सहायता (001) सहायक अनुदान के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. इस स्वीकृति पर वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक/88/168/वित्त विभाग/व-3/05/ दिनांक 15-2-2006 द्वारा सहमति/स्वीकृति प्रदान की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, विशेष सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

फा. क्र. 1398/408/21-ब/छ.ग./06.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री महेशचंद्र पुरवार, लोक अभियोजक दुर्ग को दिनांक 1-8-2005 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये दुर्ग जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

फा. क्र. 1399/408/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री महेश चंद्र पुरवार, शासकीय अभिभाषक दुर्ग को दिनांक 1-8-2005 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये दुर्ग जिले के लिये शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

फा. क्र. 1400/408/21-ब/छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विजय कुमार कसार, अधिवक्ता, जिला दुर्ग को दिनांक 1-8-2005 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए दुर्ग जिले के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

फा. क्र. 1402/408/21-ब/छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार पिल्लई, अधिवक्ता, जिला दुर्ग को दिनांक 1-8-2005 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए दुर्ग जिले के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

फा. क्र. 1404/476/21-ब/छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री खम्हन लाल कश्यप, अधिवक्ता, जिला कोरबा को दिनांक 1-8-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए कोरबा जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006.

फा. क्र. 1499/डी-3098/21-ब/फा.ट्रे.को./छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कालीदत्त त्रिपाठी, अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये दिनांक 1-8-2005 से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर पुनः अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

फा. क्र. 1501/डी-3098/21-ब/फा.ट्रे.को./छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती पुष्पा रानी पाढ़ी, अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग को फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये दिनांक 1-8-2005 से एक वर्ष की कालावधि के लिए या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर पुनः अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

फा. क्र. 1512/473/21-ब/छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्याम किशोर सहाय, अधिवक्ता, जिला जशपुर को दिनांक 1-8-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए जशपुर जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

फा. क्र. 1516/473/21-ब/छ.ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दीपक देशपांडे, अधिवक्ता, जिला जशपुर को दिनांक 1-8-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए जशपुर जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2006

फा. क्र.1580/3 (बी)/31/2006/21-ब, (मेरिट क्रमांक-31).—इस विभाग के आदेश क्रमांक 968 दिनांक 2-2-2006 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश के द्वितीय पंक्ति में "आत्मज श्री रामचन्द्र अच्युत पटवर्धन" के स्थान पर "आत्मज श्री अच्युत रामचन्द्र पटवर्धन" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2006

क्रमांक- एफ् 9-94/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-94/32/2005 दिनांक 12-12-2005 द्वारा ग्राम खरमोरा, कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना कोरबा के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खरमोरा प. ह. नं.-5	296/1 का भाग	10 एकड़ (लगभग 4.04 हे.)	औद्योगिक	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम खरमोरा, कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण खरमोरा (कोरबा) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक-एफ 9-5/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-5/32/2005 दिनांक 26-10-04 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	फुण्डहर	नया खसरा क्रमांक- 54/17, 54/88, 54/89, 54/8, 54/20, 54/90, 54/91.	1.832 हे.	कृषि	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक
		योग	**1.832 हे.**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/426/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उप धारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला दुर्ग के कुम्हारी के संबंध में

निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

ब्लाक क्र.	नाम	गांव की संख्या	विगत 5 वर्षों के बिक्री छांट के आधार पर प्राप्त मानक दर			
			निवासार्थ प्रति		व्यवसायिक प्रति	
			100 वर्ग फुट	10 वर्ग मीटर	100 वर्ग फुट	10 वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कुम्हारी	1	46.80	70.20	50.40	75.60

कलेक्टर दुर्ग द्वारा प्रस्तावित की गई प्रमाणित दर उचित एवं मान्य किये जाने योग्य है. प्रमाणित दर का निर्धारण प्रस्ताव शासन स्वीकृति व राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु संलग्न प्रेषित है.

Raipur, the 13th February 2006

No./ 426/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for Kumhari of District Durg as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name	No. of Village	Standard Rate on Bikri Chant of last 5 years			
			Residential		Commercial	
			Each 100 sq. feet	Each 10 sq. meter	Each 100 sq. feet	Each 10 sq. meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kumhari	1	46.80	70.20	50.40	75.60

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/428/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला राजनांदगांव के नगर अम्बागढ़ चौकी, कान्हे एवं मेरेगांव के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की ततस्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है, जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	अम्बागढ़ चौकी	10.80	16.20	11.80	17.20
2.	2	कान्हे एवं मेरेगांव	2.40	3.30	3.40	4.30

Raipur, the 13th February 2006

No./ 428/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for urban area Ambagarh Chowki, Khanhe and Meregaon of Rajnandgaon District as inscribed schedule column No. 4, 5, 6 & 7 this rate are prescribed for the urban land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Group No.	Name of Urban area	Prescribed standard rate for determination of each 100 sq. feet land for given below purpose		Prescribed standard rate for determination of each 10 sq. meter land for given below purpose	
			Residential purpose	Commercial purpose	Residential purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	Ambagarh Chowki	10.80	16.20	11.80	17.20
2.	2	Khanhe and Meregaon	2.40	3.30	3.40	4.30

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/430/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला जांजगीर-चांपा के नगर अकलतरा के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है, जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	अकलतरा	13.00	20.00	14.00	21.50
2.	2	अकलतरा	12.00	18.00	13.00	19.50

Raipur, the 13th February 2006

No./ 430/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for urban area Akaltara block of Janjgeer-champa District as inscribed schedule column No. 4, 5, 6 & 7 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/ Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Group No.	Name of Urban area	Prescribed standard rate for determination of each 100 sq. feet land for given below purpose		Prescribed standard rate for determination of each 10 sq. meter land for given below purpose	
			Residential purpose	Commercial purpose	Residential purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	Akaltara	13.00	20.00	14.00	21.50
2.	2	Akaltara	12.00	18.00	13.00	19.50

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/432/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला कोरबा के नगर दीपका के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	ग्राम का नाम	प्रमाणिक दर			
		प्रति 100 वर्ग फुट		प्रति 10 वर्ग मीटर	
		आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दीपका	7.87	8.47	11.93	12.84

Raipur, the 13th February 2006

No./ 432/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for Dipka Village of Korba District as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name of Village	Standard Rate			
		Each 100 sq. feet		Each 10 sq. Meter	
		Residential	Commercial/ Industrial	Residential	Commercial/ Industrial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dipka	7.87	8.47	11.93	12.84

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/434/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला जांजगीर-चांपा के नगर जांजगीर नैला के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है, जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	नैला जांजगीर	15.00	23.00	16.00	25.00
2.	2	नैला जांजगीर	17.00	25.00	18.00	27.00

Raipur, the 13th February 2006

No./ 434/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish describe district in below Schedule column No. 2, 3 and standard rate of tax determination for urban area Janjgeer Naila of Janjgeer-Champa District as inscribed above schedule column No. 4, 5, 6 & 7 this rate are prescribed for the urban land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Group No.	Name of Urban area	Prescribed standard rate for determination of each 100 sq. feet land for given below purpose		Prescribed standard rate for determination of each 10 sq. meter land for given below purpose	
			Residential purpose	Commercial purpose	Residential purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	Janjgeer Naila	15.00	23.00	16.00	25.00
2.	2	Janjgeer Naila	17.00	25.00	18.00	27.00

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/436/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला दुर्ग के भिलाई 3 के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

ब्लाक क्र.	नाम	गांव की संख्या	विगत 5 वर्षों के बिक्री छांट के आधार पर प्राप्त मानक दर			
			निवासार्थ प्रति		व्यवसायिक प्रति	
			100 वर्ग फुट	10 वर्ग मीटर	100 वर्ग फुट	10 वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भिलाई 3	1	59.30	88.95	63.80	95.70

Raipur, the 13th February 2006

No./ 436/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for municipal Corporation area of Bhilai-3 District Durg as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/ Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name	No. of Village	Standard Rate on Bikri Chant of last 5 years			
			Residential		Commercial	
			Each 100 sq. feet	Each 10 sq. meter	Each 100 sq. feet	Each 10 sq. meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bhilai	1	59.30	88.95	63.80	95.70

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/438/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला जांजगीर-चांपा के नगर अड़भार हरदी के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	ग्राम का नाम	प्रमाणिक दर			
		प्रति 100 वर्ग फुट		प्रति 10 वर्ग मीटर	
		आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अड़भार हरदी	6.20	9.30	6.70	10.00

Raipur, the 13th February 2006

No./ 438/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for urban area Aarbhar Hardi of Janjgeer-Champa

District as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as commercial/ Industrial & residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name of Village	Standard Rate			
		Each 100 sq. feet		Each 10 sq. meter	
		Residential	Commercial/ Industrial	Residential	Commercial/ Industrial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aarbhar Hardi	6.20	9.30	6.70	10.00

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/442/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला जांजगीर-चांपा के नगर नया बाराद्वार के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	ग्राम का नाम	प्रमाणिक दर			
		प्रति 100 वर्ग फुट		प्रति 10 वर्ग मीटर	
		आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	नया बाराद्वार	7.00	11.00	8.00	12.00

Raipur, the 13th February 2006

No./ 442/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for Baradwar Block of Janjgeer-Champa District as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name of Village	Standard Rate			
		Each 100 sq. feet		Each 10 sq. meter	
		Residential	Commercial/ Industrial	Residential	Commercial/ Industrial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Naya Baradwar	7.00	11.00	8.00	12.00

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक/444/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला जांजगीर-चांपा के नगर सक्ती के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है, जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	सक्ती	9.00	14.00	10.00	15.00
2.	2	सक्ती	9.00	14.00	10.00	15.00
3.	3	सक्ती	20.00	30.00	22.00	33.00
4.	4	सक्ती	8.00	12.00	9.00	13.00

Raipur, the 13th February 2006

No./444/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for urban area Sakti block of Janjgeer-Champa District as inscribed schedule column No. 4, 5, 6 & 7 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/ Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Group No.	Name of Urban area	Prescribed standard rate for determination of each 100 sq. feet land for given below purpose		Prescribed standard rate for determination of each 10 sq. meter land for given below purpose	
			Residential purpose	Commercial purpose	Residential purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	Sakti	9.00	14.00	10.00	15.00
2.	2	Sakti	9.00	14.00	10.00	15.00
3.	3	Sakti	20.00	30.00	22.00	33.00
4.	4	Sakti	8.00	12.00	9.00	13.00

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2006

क्रमांक/507/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला दुर्ग के नगर निगम के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	ग्राम का नाम/समूह	प्रमाणिक दर			
		प्रति 100 वर्ग फुट		प्रति 10 वर्ग मीटर	
		आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यावसायिक औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	87.60	131.40	94.20	141.60
2.	-,,-	104.75	157.10	112.70	169.05
3.	-,,-	133.80	200.70	144.00	216.00
4.	-,,-	75.10	112.65	80.80	121.20
5.	-,,-	110.70	165.90	119.20	178.80
6.	-,,-	134.10	201.30	144.30	216.90
7.	-,,-	62.40	93.60	67.15	100.70
8.	-,,-	141.90	213.00	152.70	229.20

Raipur, the 20th February 2006

No./507/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1) 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for urban area of Municipal Corporation of Durg District as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/ Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name of Village	Standard Rate			
		Each 100 sq. feet		Each 10 sq. meter	
		Residential	Commercial/ Industrial	Residential	Commercial/ Industrial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Durg	87.60	131.40	94.20	141.60
2.	Durg	104.75	157.10	112.72	169.05
3.	Durg	133.80	200.70	144.00	216.00
4.	Durg	75.10	112.65	80.80	121.20
5.	Durg	110.70	165.90	119.20	178.80
6.	Durg	134.10	201.30	144.30	216.90
7.	Durg	62.40	93.60	67.15	100.70
8.	Durg	141.90	213.00	152.70	229.20

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक/588/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) तथा (3) में उल्लेखित तथा वर्णित जिला जांजगीर-चांपा के नगर चांपा के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम 4, 5, 6 तथा 7 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है, जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है, जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	समूह क्रमांक	नगर का नाम	निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण की मानक दरें	
			निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	चांपा	7.00	22.00	8.00	24.00
2.	2	चांपा	12.00	23.00	13.00	25.00
3.	3	चांपा	9.00	13.00	10.00	14.00
4.	4	चांपा	8.00	13.00	9.00	14.00

Raipur, the 25th February 2006

No./588/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1) 93 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish describe district in below Schedule Column No. 2, 3 and standard rate of tax determination for urban area of Champa of Janjgeer-Champa District as inscribed above schedule column No. 4, 5, 6 & 7 this rate are prescribed for the urban land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Group No.	Name of Urban area	Prescribed standard rate for determination of each 100 sq. feet land for given below purpose		Prescribed standard rate for determination of each 10 sq. meter land for given below purpose	
			Residential purpose	Commercial purpose	Residential purpose	Commercial purpose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1	Champa	7.00	22.00	8.00	24.00
2.	2	Champa	12.00	23.00	13.00	25.00
3.	3	Champa	9.00	13.00	10.00	14.00
4.	4	Champa	8.00	13.00	9.00	14.00

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक/597/राजस्व/2005.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा एक द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 उल्लेखित तथा वर्णित जिला कोरबा के नगर निगम क्षेत्र कोरबा के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

ब्लाक क्र.	नाम	गांव की संख्या	विगत 5 वर्षों के बिक्री छांट के आधार पर प्राप्त मानक दर			
			निवासार्थ प्रति		व्यवसायिक प्रति	
			100 वर्ग फुट	10 वर्ग मीटर	100 वर्ग फुट	10 वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	गोपाल पुर	6	4.56	4.90	6.91	7.43
2.	दर्राखार	5	4.20	4.52	6.36	6.85
3.	जमनिपाली	5	4.52	4.86	6.85	7.37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	बांकी	5	5.09	5.48	7.72	8.31
5.	कुचेना	5	3.08	3.31	4.67	5.03
6.	गेवरा	6	4.83	5.20	7.32	7.88
7.	बरमपुर	5	3.06	3.29	4.64	4.99
8.	बल्गीखार	5	2.82	3.03	4.27	4.60
9.	पाढ़ीमार	4	42.10	45.30	63.29	68.64
10.	कोरबा	5	63.68	68.52	96.49	103.83
11.	दादरखुर्द	6	15.36	16.53	23.28	25.05

Raipur, the 25th February 2006

No./597/Revenue/2005.— In exercise of the power conferred by the section 93-94 (2) 95, 96, 97 (1) 98 (2) and also with studies of sub-section (1) & (2) of part (thirteen), (fifteen), (sixteen), (seventeen) & (eighteen) Under the law of manual 29 & sub-section of 97 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Govt. is pleased to declare & publish standard rate of tax determination for Municipal Corporation area of Korba District as inscribed schedule column No. 3, 4, 5 & 6 this rate are prescribed for the land which is used as Commercial/Industrial & Residential purpose or other same non agricultural purpose.

SCHEDULE

Serial No.	Name	No. of Village	Standard Rate on Bikri Chant of last 5 years			
			Residential		Commercial	
			Each 100 sq. feet	Each 10 sq. meter	Each 100 sq. feet.	Each 10 sq. meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gopal pur	6	4.56	4.90	6.91	7.43
2.	Darrakhar	5	4.20	4.52	6.36	6.85
3.	Jamnipali	5	4.52	4.86	6.85	7.37
4.	Banki	5	5.09	5.48	7.72	8.31
5.	Kuchena	5	3.08	3.31	4.67	5.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Gevra	6	4.83	5.20	7.32	7.88
7.	Barampur	5	3.06	3.29	4.64	4.99
8.	Balgikhar	5	2.82	3.03	4.27	4.60
9.	Padhimar	4	42.10	45.30	63.29	68.64
10.	Korba	5	63.68	68.52	96.49	103.83
11.	Daderkhurd	6	15.36	16.53	23.28	25.05

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक/1353/भू-अर्जन/2006/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कासमसुर प.ह.नं. 14	4.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मनेरी जलाशय के अंतर्गत बन्ड निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधि., राज. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पटेलपाली प.ह.नं. 10	0.028	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	भुजबंधान जलाशय के नहर विस्तार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	शकरबोगा प.ह.नं. 20	6.127	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	शकरबोगा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	अड़बहाल प.ह.नं. 17	0.704	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	अड़बहाल जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प.ह.नं. 20	1.234	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	शकरबोगा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 फरवरी 2006

क्रमांक 296-अ/82 सन् 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	कुकदा प. ह. नं. 03	8.687	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मंडल, दुर्ग.	आवास योजना हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 जनवरी 2006

क्रमांक 178/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जटगा	5.74	अ. वि. अ., लो. नि. वि., कटघोरा क्र.-02.	सड़क निर्माण कार्य
		घुमानीडांड	4.58		
		करगामार	3.02		
		पचरा	3.24		
		योग	**16.58**		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 16 फरवरी 2006

क्रमांक 169/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कोड़ेकुर्से	0.14	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग, कांकेर.	कोड़ेकुर्से-भुरके मार्ग के कि. मी. 1/4 में भुरके नदी पर सेतु पहुंचमार्ग निर्माण.

कांकेर, दिनांक 16 फरवरी 2006

क्रमांक 172/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	कोड़ेकुर्से	0.48	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग, कांकेर.	मिचगांव-कोड़ेकुर्से मार्ग के कि. मी. 7/6 में कोटरी नदी पर सेतु पहुंचमार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-बलौदी, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
437/1	2.10
437/2	0.37
योग 2	2.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-चीनू, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
299	0.09
302/1	0.27
302/2, 303/1	0.18
305/1, 306/1, 307/1	0.37
302/3	0.50
302/4	0.62
327/1	0.90
302/5, 303/2	0.18
305/2, 306/2, 307/2	0.57
308/1	0.32
314/1	0.59
315	0.53
314/2	0.32
314/3	0.62
योग 14	6.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 20 फरवरी 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/24/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नियानार, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.644 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
348/1 घ	0.056
69/16	0.081
335	0.096
333	0.105
261/2	0.065
341/1	0.044
341/2	0.052
342	0.145
योग	0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-डोंगाम तालाब योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/14/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-जुगानी कलार, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.532 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71/9, 73, 74/1	0.130
78/2	0.032
74/4	0.049
74/2	0.061
74/6	0.028
75/1	0.20
80/1	0.041
79	0.041
78/1 ख	0.081
83	0.049
योग	0.532

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भण्डार सिवनी उद्वहन योजना की नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव के कार्यालय अथवा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.